

राजस्थान सरकार  
कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांक एफ-5/अभि/सीटीएडी/मंत्री अनुशंषा/पेयजल/2018-19/9298-307 दिनांक : 12-05-20

उपायुक्त  
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,  
बांसवाडा।

विषय:- संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत हैण्डपम्प निर्माण के स्थान परिवर्तन की स्वीकृति।

प्रसंग :- संयुक्त निदेशक, (मोने.)जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर का पत्रांक एफ 1 (3) (8) टीएडी/मंत्री प्रस्ताव/2018-19/जयपुर दिनांक 17.03.2020 एवं संलग्न माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की अ.शा. टीप क्रमांक राम/टीएडी/2020/300 जयपुर, दिनांक 12.03.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत शासन द्वारा विभागीय पत्रांक एफ 5/अभि./सीटीएडी/पेयजल/2018-19/25267-75 दिनांक 25.06.2019 द्वारा जारी वित्तीय स्वीकृति ग्रा.पं. मलवासा में कॉलम सं. 2 में स्वीकृत हैण्डपंप स्थान के बजाय कॉलम सं. 3 में वर्णित नवीन प्रस्तावित हैण्डपंप स्थान पर हैण्डपंप स्थापना की स्वीकृति जारी करने हेतु निर्देशित किया गया है अतः कॉलम सं. 3 में वर्णित स्थानों पर हैण्डपंप निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कार्यकारी एजेन्सी- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

(राशि लाख रु.में)

स्वीकृत में अंकित क्र. सं.	पूर्व में हैण्डपंप का स्वीकृत स्थान	नवीन स्थान जहां हैण्डपंप स्थापित किया जाना है।	अनु.लागत
1	2	3	4
14	मलूण/मावजी के घर के पास	दिलीप/कानजी के घर के पास	0.86
15	सावित्री माता मंदिर के पास	बापू/सवजी के घर के पास, शंकरपुरा	0.86
17	दूरसिंह/सरदार के घर के पास	दिनेश/कपटा के घर के पास, शंकरपुरा	0.86
18	नाथू/रथुडा के घर के पास	प्रभु/हुलिया के घर के पास, हुंगडुंगरी	0.86
19	प्रेमा/भूरा के घर के पास	मनीष/धनजी के घर के पास, शंकरपुरा	0.86
20	झापुडी बावसी डामोर बस्ती	प्रकाश/खतरा के घर के पास	0.86

उपरोक्त कार्यों की कार्यकारी एजेन्सी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग रहेगी। कार्यकारी एजेन्सी से निम्नांकित शर्तों के अधीन तकनीकी रिपोर्ट मय डाईंग विस्तृत एस्टीमेट एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर भिजवाने का श्रम करावें।

शर्तें:-

1. यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावें।
2. योजना में भू-जल वैज्ञानिक की रिपोर्ट प्राप्त कर तकनीकी स्वीकृति के साथ प्रेषित करें। नियमानुसार कार्य किया जावें।

कृ.पू.उ.

3. मौके की स्थिति अनुसार निर्विवाद सार्वजनिक भूमि पर प्रस्तावित कार्य का वास्तविक तकमीना बनाया जावे एवं तकमीने के प्रत्येक आईटम पर बी.एस.आर. का विवरण (बी.एस.आर. का विभाग, वर्ष एवं आईटम क्रमांक) अंकित करावे। स्वीकृत कार्य की **geo-tagging** कर तकमीने मे कार्य स्थल का **longitude & latitude** अंकित की जावे।

(शिवांगी स्वर्णकार).I.A.S  
आयुक्त

क्रमांक एफ--5/अभि/सीटीएडी/मंत्री अनुशंषा/पेयजल/2018-19/9298-307 दिनांक : 12-05-20  
प्रतिलिपि -

1. विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, उदयपुर।
4. अधीक्षण/ अधिशाषी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग वृत्त बांसवाडा/खण्ड बांसवाडा।
5. निदेशक, मॉनिटरिंग/वित्तीय सलाहकार/कम्प्यूटर शाखा, कार्यालय हाजा।
6. गार्ड पत्रावली।

//  
(वृद्धि चन्द गर्ग)  
अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)